

सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची

दिनांक-25.12.2018 को सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग
सोसाईटी, धुर्वा, रांची की वार्षिक आम सभा की बैठक का वृत्त:-

आज दिनांक-25.12.2018 को सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग
सोसाईटी, धुर्वा, रांची की वार्षिक आम सभा की बैठक पलाश भवन, रांची में आयोजित की
गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए-

1. श्री डी० के० पाण्डेय	-	अध्यक्ष
2. श्री ए० के० रस्तोगी	-	सचिव
3. श्री आर० एल० बक्शी	-	कोषाध्यक्ष
4. श्री आर० पी० सिंह	-	सदस्य
5. श्री दिनेश कुमार	-	सदस्य
6. श्री महेन्द्र प्रसाद	-	सदस्य
7. श्री ए० एम० शर्मा	-	सदस्य
8. श्री ए० पी० चौधरी	-	सदस्य
9. श्री रुद्रानन्द प्रसाद	-	सदस्य
10. श्री राजकुमार बाजपेयी	-	सदस्य
11. श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी	-	सदस्य
12. श्री आर०पी० सिंह	-	सदस्य
13. श्री कुलवंत सिंह	-	सदस्य
14. श्री एम० पी० सिंह	-	सदस्य
15. श्री ए० के० मिश्रा	-	सदस्य
16. श्री डी० के० श्रीवास्तव	-	सदस्य
17. श्री आर० के० कटारिया	-	सदस्य
18. श्री कीर्ति सिंह	-	सदस्य

प्रारंभ में वार्षिक आम सभा की बैठक में कोरम पूरा नहीं होने के कारण आधे
घंटे के लिए बैठक स्थगित की गयी। तत्पश्चात् पुनः अपराह्न 12 बजे से वार्षिक आम सभा
की बैठक प्रारंभ की गयी।

Rejo:-

Ok Pandey

वार्षिक आम सभा की बैठक में आम सभा के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत किये गये:-

1. प्रस्ताव सं0-1. कार्यकारिणी समिति द्वारा सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी तक मुख्य पहुँच पथ के निर्णय के संबंध में प्रयास करने का आग्रह किया गया।

आम सभा का निर्णय:-

आम सभा ने सर्वसम्मति से कार्यकारिणी समिति को मुख्य पहुँच पथ के निर्माण हेतु शीघ्र उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

प्रस्ताव सं0-2.- सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी के आंतरिक पथ का निर्माण हेतु आम सभा के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आम सभा का निर्णय- आम सभा ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि सोसाईटी के अन्दर से गुजरने वाले 1.7 कि०मी० आंतरिक पथ जो ग्राम सांगा को ग्राम तारुक को जोड़ता है, के निर्माण के लिए कार्यकारिणी पुनः प्रयास प्रारंभ करे।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में आंतरिक पथ का निर्माण मनरेगा के तहत इस आधार पर प्रारंभ किया गया था कि इस पथ का इस्तेमाल ग्रामीण भी कर सकेंगे।

प्रस्ताव सं0.3- विद्युतीकरण-

आम सभा के समक्ष सोसाईटी में ट्रांसफॉर्मर की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आम सभा का निर्णय:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी के साउथ-ईस्ट कोने पर एक पावर सबस्टेशन एवं ट्रांसफार्मर की स्थापना की जाय। इसके लिए कार्यकारिणी विद्युत विभाग से सम्पर्क कर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करे।

Rep. 1

Ok Pandey

प्रस्ताव सं०- 4-

सोसाइटी के अन्तर्गत समिति के सदस्यों को आवंटित प्लॉटों का पुनर्खांकन का प्रस्ताव आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

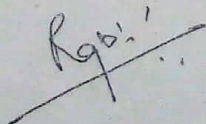
आम सभा का निर्णय:-

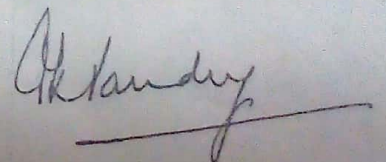
समिति के जमीन की घेराबन्दी के कम में राजस्व विभाग द्वारा 78.32 एकड़ भूमि का पुनः सीमांकन कराया गया। जिसके कारण समिति के सदस्यों को पूर्व में आवंटित लगभग 40 भूखंडों में विचलन पाया गया। आम सभा ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि समिति में वर्तमान Developer के द्वारा ही भूखंडों का Reallocation कराया जाय एवं यह देखा जाय कि प्लॉट संख्या एवं आकार में कम से कम बदलाव हो। आवश्यकता पड़ने पर कॉमन एरिया को कम किया जाय एवं यदि आवश्यक हो तो सड़क की चौड़ाई को घटाकर 30 से 35 फीट के आस-पास कर दिया जाय। आम सभा द्वारा यह महसूस किया गया कि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कॉमन एरिया एवं सड़क की जमीन का उपयोग करने के बावजूद कुछ भूखंडों का आकार घट-बढ़ सकता है जिससे संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बिन्दु पर आम सभा की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से मत लिया गया जिसे शत-प्रतिशत सदस्यों ने सकारात्मक पक्ष लिया।

प्रस्ताव सं०-5 - विकास शुल्क के संबंध में प्रस्ताव

इस संबंध में यह देखा गया कि अभी तक 2016 में मांग की गयी विकास शुल्क 48 सदस्यों ने जमा नहीं किया है।

आम सभा का निर्णय:- इस संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिन सदस्यों ने ₹0 1,00,000/- विकास शुल्क जमा नहीं किया है, उनसे 12 प्रतिशत की दर से 20.04.2018 के प्रभाव से ब्याज सहित लिया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि द्वितीय विकास





शुल्क रु0 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) मार्च 31, 2019 तक जमा कर दें। जमा न करने की स्थिति में 12 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करना होगा।

प्रस्ताव सं0. 6- सोसाईटी की वित्तीय स्थिति -

कोषाध्यक्ष ने सोसाईटी की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नप्रकार दिया है :-

Sl. No.	Account No. (FD)	Principal Amount	Maturity dated	Matured value	Interest
1.	31423514744	4698603	11-10-2019	5702704	403801
2.	36076176298	55503532	08-05-2019	5977694	474162
3.	36918473027	7689736	26-06-2019	7935823	246087
4.	31423542397	3555389	10-11-2019	3799652	244263
5.	36314410802	1718990	25-04-2019	1871096	152106
	Total=	23166550		2,51,86,969	1520419

उपरोक्त के अतिरिक्त बचत खाता में निम्न राशि जमा है :-

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया -85,37,547/-रु0
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया -2, 52, 218/-रु0 (फेज-2)
3. रांची खूँटी को-आपरेटिव बैंक - 58,317/-रु0

वर्तमान में सोसाईटी की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है परन्तु भावी खर्चा के लिए अपर्याप्त है। जिसके लिए यह निर्णय लिया गया कि द्वितीय विकास भुल्क यथा पीछ जमा करने का अनुरोध किया जाय क्योंकि सोसाईटी के 5.0 कि0मी0 बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु लगभग 5.39 करोड़ रु0 अनुमानित लागत लगेगी, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

उपरोक्त सावधी जमा राशि पर State Bank of India में ब्याज दर 6.4-6.5 प्रतिशत है। इसलिए अन्य सरकारी बैंको से भी निविदा लिया जाय तथा जिस सरकारी बैंक में सर्वाधिक ब्याज दर हो उस बैंक में सावधि जमा की राशि जमा किया जाय।

प्रस्ताव सं0. 7- सुरक्षा कर्मी का मानदेय

सोसाईटी की सुरक्षा एवं देखभाल करने के लिए दो निजी सुरक्षा कर्मियों को रु.4200/-प्रतिमाह आंशिक अनुबंध के आधार पर माह जनवरी 2019 से Part Time अनुबंध पर रखने की आम सभा द्वारा सहमति दी गयी। अगर इनका कार्य संतोषजनक पाया गया तो वर्ष के अन्त में रु.1000/- एक हजार बोनस के रूप में दिया जाएगा एवं

Rep:

Ok Landry

श्री एस0डी0 प्रधान, लेखापाल को वर्ष के अन्त में रु.5000/- पाँच हजार बत्तीर बोनस दिया जाएगा।

प्रस्ताव सं0. 8. बाउण्ड्रीवाल -

सोसाईटी का बाउण्ड्रीवाल यथाशीघ्र त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरा किया जाय। इसके अतिरिक्त सभी सदस्यों को अपने-अपने प्लॉट का बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु Re-Plotting के पश्चात् अनुमति दी जाती है। इस विषय में उपस्थित सभी सदस्यों का मत लिया गया, जिसमें शत-प्रतिशत सदस्य सहमत हुए। बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु वर्तमान में कार्यरत ठेकेदार से मदद ली जा सकती है, ताकि सभी सदस्यों को सहूलियत हो।

प्रस्ताव सं0. 9.- रैयती जमीन -

सोसाईटी के मध्य में लगभग 6.5 एकड़ भूमि रैयतों का पड़ता है, जिसकी कीमत कम-से-कम 3.5 करोड़ आता है। जिसे खरीदने हेतु सोसाईटी के पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए उनको अपनी भूमि पर खेती करने के लिए रास्ता की सुविधा दी जाय। इस विषय में उपस्थित सभी सदस्यों का मत लिया गया, जिसमें शत-प्रतिशत सदस्य सहमत हुए।

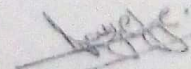
उपरोक्त विषय के अतिरिक्त निम्न विषयों पर विचार किया गया, जिसमें सदस्यों द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :-

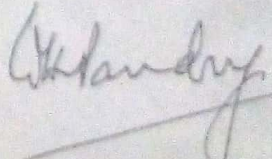
क- जलापूर्ति - प्रत्येक सदस्यों को जलापूर्ति हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

ख- सिवरेज - साईट के निर्माण के समय सिवरेज निर्माण के लिए विशिष्ट अभियंता से सम्पर्क कर कार्रवाई किया जाएगा।

ग- गृह निर्माण का प्रारूप - गृह निर्माण हेतु यह विचार-विमर्श किया गया कि सोसाईटी के अंदर यथासंभव लगभग एक ही प्रकार का भवन निर्माण किया जाय, जिसके लिए विशेष वास्तुविद् से सम्पर्क कर कार्य किया जाएगा।


(आर0एल0 बक्शी)
कोशाध्यक्ष


(ए0के0 रस्तोगी)
सचिव,


(डी0के0 पाण्डेय)
अध्यक्ष